मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952

(सन् 1952 का क्रमांक 17)

(THE MADHYA PRADESH CINEMA (REGULATION) ACT, 1952)

(No. 17 of 1952)

(राज्यपाल की अनुमति दिनांक 10 सितम्बर, 1952 को प्राप्त हुई, अनुमति पहली बार दिनांक 19 सितम्बर, 1952 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हुई)

सिनेमाओं को अनुज्ञप्ति प्रदान करना सम्मिलित करते हुए उनके विनियमन के हेतु उपबन्ध करने के लिये अधिनियम।

प्रस्तावना - चूँकि सिनेमाओं का अनुज्ञप्ति प्रदान करना सम्मिलित करते हुए, उनके विनियमन के हेतु उपबन्ध करना वांछनीय है;

यह एतद्द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाता है -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ - (1) यह अधिनियम मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में होगा तथा यह सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में प्रभावशील रहेगा।

2. परिभाषाएँ - इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो।

(क) "चलक्षेपित" में चित्रों की श्रृंखला अथवा चलचित्रों के पुनः प्रस्तुतिकरण का कोई भी उपकरण समाविष्ट है;

(ख) "स्थान में गृह, भवन, तम्बू तथा चाहे समुद्र भूमि अथवा वायु द्वारा हो यातायात का कोई भी विवरण, समाविष्ट है;

(ग) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों द्वारा विहित।

3. चलक्षेपित्र द्वारा प्रदर्शन अनुज्ञेय - इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित को छोड़कर इस अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञा प्राप्त स्थान से अन्यत्र अथवा ऐसी अनुज्ञप्ति द्वारा आरोपित किन्हीं शर्तों और प्रतिबन्धों के पालन में के अन्यथा कोई व्यक्ति चलक्षेपित्र के साधन द्वारा प्रदर्शन नहीं देगा।

टिप्पणी

इस धारा के प्रावधानों से छूट - मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 16 अक्टूबर, 1964 द्वारा निम्न प्रावधानों से छूट दी है।

मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (सन् 1952 का क्रमांक 17) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषय पर समस्त पूर्व-आज्ञाओं को निरस्त करते हुए राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा राज्य में दिये जाने वाले चलक्षेपित्र प्रदर्शनों को कथित अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों से निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन एतद्द्वारा मुक्त करता है :

(1) केवल प्रमुखतः शैक्षणिक प्रकृति के चलचित्र, वैज्ञानिक चलचित्र, समाचारों तथा वर्तमान घटनाओं से सम्बन्धित चलचित्र अथवा दस्तावेजी चलचित्र, जो चलचित्र सलाहकार मण्डल द्वारा अनुमोदित किये जावेंगे।

(2) प्रदर्शन में प्रवेश के लिये कोई टिकट नहीं लिया जावेगा।

(3) शैक्षणिक संस्थाओं के मामले में विद्यार्थीगण, कर्मचारीवृन्द, प्रबन्ध समिति के सदस्यगण तथा प्राधिकारीगण अथवा संस्था द्वारा विशेषतः आमंत्रित अतिथि के अतिरिक्त कोई व्यक्ति प्रदर्शन में प्रवेशित नहीं किया जावेगा।

(4) केवल 8 एम.एम., $9\,^1/_2$ एम.एम., 16 एम.एम. तथा 35 एम.एम. के अनामिज्यावल्य चलचित्रों तथा चलचित्र पट्टियों को प्रदर्शित किया जावेगा अथवा प्रदर्शित करने के लिये अनुमत किया जायेगा।

(5) विज्ञापन चलचित्रों को प्रदर्शित करने के लिये अनुमत नहीं किया जायेगा।

(6) ऐसे प्रदर्शन के स्थान पर तथा समय को अनुज्ञापन प्राधिकारी को कम से कम 48 घण्टे पूर्व सूचना दी जावेगी।

(7) छूट प्राप्तकर्त्ता प्रदर्शित किये जाने वाले चलचित्रों की एक पंजी रखेगा तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा प्रतिनियुक्ति किसी अन्य अधिकारी के निरीक्षण के लिये पंजी खुली रहेगी।

(8) प्रदर्शन का स्थान पर्याप्त रुप से उपस्कृत अथवा अग्निशामक उपकरणों से युक्त होगा।

(9) अपने शासकीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में संलग्न, राज्य शासन के कर्मचारीगण, केन्द्रीय चलचित्र वेक्षक मण्डल तथा उसकी सलाहकार तालिका के सदस्यगण तथा मण्डल के क्षेत्रीय अदिकारीगण प्रदर्शनों के स्थान में प्रवेशित किये जावेंगे।

मध्यप्रदेश राज्यपाल के नाम तथा आदेशानुसार

4. अनुज्ञापन प्राधिकारी - इस अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति प्रदान करने की शक्ति रखने वाला प्राधिकारी (इसमें पश्चात् ''अनुज्ञापन प्राधिकारी'' निर्दिष्ट) जिला दण्डाधिकारी होगा :

परन्तु राज्य शासन, सम्पूर्ण राज्य के लिये अथवा उससे किसी भाग के लिये इस अधिनियम के उद्देश्यों के हेतु अनुज्ञापन प्राधिकारी होने के लिये अधिसूचना द्वारा ऐसा अन्य प्राधिकारी नियुक्त कर सकता है जैसा कि वह अधिसूचना में निर्दिष्ट करे।

5. अनुज्ञापन प्राधिकारी की शक्तियों पर प्रतिबन्ध - (1) अनुज्ञापन प्राधिकारी इस अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं करेगा, जब तक कि वह सन्तुष्ट नहीं हो जाता है कि -

(क) अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों का पर्याप्त रुप से पालन किया जा चुका है; तथा

(ख) जिसके सम्बन्ध में अनुज्ञप्ति दी जानी है उस स्थान में उसमें प्रदर्शन में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये पर्याप्त पूर्वोपाय कर लिये गये हैं।

(2) इस धारा के पूर्वगामी प्रावधानों के तथा राज्य शासन के नियन्त्रण के अधीन, अनुज्ञापन प्राधिकारी, ऐसे व्यक्तियों को जिनको वह पदाधिकारी योग्य ,समझे, तथा ऐसे निबन्धनों एवं शर्तों पर तथा ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन जैसे कि वह निश्चित करें, इस अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञायें प्रदान कर सकता है।

(3) इस अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति प्रदान करना अस्वीकार करने वाले अनुज्ञापन प्राधिकारी के निर्णय से दुःखी कोई व्यक्ति, ऐसे समय पर जैसी कि विहित हो, राज्य शासन को अथवा ऐसे अधिकारी को, जैसा कि राज्य शासन इस बारे में निर्दिष्ट करें, अपील कर सकता है और शासन अथवा वह अधिकारी, जैसी भी दशा हो, प्रकरण में से ऐसे आदेश दे सकता है जैसा कि वह उचित समझे।

(4) राज्य शासन अनुज्ञाधारियों को सामान्यतः अथवा किसी अनुज्ञाधारी को विशेषतः किसी चित्रपट के अथवा चित्रपटों के वर्ग का विनियमन करने के प्रयोजन के लिये समय-समय पर निर्देश दे सकता है जिससे कि वैज्ञानिक चित्रपट, शैक्षणिक प्रयोजनों के लिये अभिप्रेत चित्रपट समाचार तथा वर्तमान घटनाओं का सम्पादन करने वाले चित्रपट, प्रलेखीय (दस्तावेजों) चित्रपट या स्वदेशी चित्रपट प्रदर्शित होने के पर्याप्त अवसर प्राप्त करे तथा जहाँ ऐसे निर्देश दिये जा चुके हैं, वे निर्देश अतिरिक्त शर्तें तथा प्रतिबन्धन समझें जावेंगे जिनके कि अध्यधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है।

6. चित्रपट प्रदर्शन रोकने की राज्य शासन अथवा स्थानीय प्राधिकारी की शक्ति - (1) राज्य शासन सम्पूर्ण राज्य अथवा उसके किसी भाग के सम्बन्ध में, तथा जिला दण्डाधिकारी अपने अधिक्षेत्र में के जिला अथवा नगर के सम्बन्ध में, यदि वह इस राय का हो कि किसी चित्रपट से जो कि सार्वजनिक रुप से प्रदर्शित किया जा रहा हो, शान्ति भंग होने

की सम्भावना है, आदेश द्वारा किसी भी चलचित्र का प्रदर्शन स्थगित कर सकता है तथा ऐसे स्थगन काल में कोई भी व्यक्ति आदेश में उल्लिखित क्षेत्र में के किसी स्थान में ऐसे चलचित्र का प्रदर्शन नहीं करेगा।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अन्तर्गत आदेश जिला दण्डाधिकारी ने निर्गमित किया हो, आदेश के लिये कारणों के विवरण के साथ, आदेश की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी द्वारा राज्य शासन को तुरन्त अग्रेषित की जायेगी और राज्य शासन उस आदेश को पुष्ट या उन्मोचित कर सकेगा।

(3) इस धारा के अन्तर्गत कोई आदेश दो मास से अधिक प्रभाव में नहीं रहेगा परन्तु राज्य शासन यदि वह इस राय का हो कि ऐसे किसी आदेश को प्रभाव में रहना चाहिये, निर्देश कर सकेगा कि स्थगन का काल, ऐसे अतिरिक्त काल से जैसा कि वह उचित समझे, बढ़ा दिया जावेगा।

7. शक्तियाँ - इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बने नियमों के प्रावधानों अथवा जिन पर या जिनके अध्यधीन कि इस अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हो, उन शर्तों तथा प्रतिबन्धनों के प्रतिकूल यदि, चलक्षेपित्र का स्वामी अथवा उसका प्रभारी व्यक्ति उसका प्रयोग करता है अथवा उसका प्रयुक्त होना स्वीकार करता है अथवा किसी स्थान का स्वामी या अधिभोगी (कब्जेदार) उस स्थान के प्रयोग करने की अनुमति देता है तो वह एक हजार रुपये तक के अर्थदण्ड से तथा निरन्तर अपराध की दशा में, ऐसे अतिरिक्त अर्थदण्ड से जो उस प्रत्येक दिन के लिये जिसमें अपराध जारी रहता है 100 रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

8. अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण को शक्ति - जहाँ अनुज्ञप्ति का धारक चलेक्षेपित्र अधिनियम 1952 की धारा 7 अथवा इस अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत किसी अपराध का दोषी सिद्ध हो चुका हो तो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति प्रतिसंहृत की जा सकती है।

9. नियम बनाने की शक्ति - राज्य शासन अधिसूचना द्वारा।

(क) शर्तें तथा प्रतिबन्ध यदि कोई हो, जिनके कि अध्यधीन इस अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञप्तियाँ प्रदान की जा सकती हों, विहित करते हुए;

(ख) जन-सुरक्षा प्राप्त करने के लिये चलक्षेपित्र प्रदर्शन के विनियमन के लिये उपबन्ध करते हुए;

(ग) वह समय जिसमें तथा वे शर्तें जिनके अध्यधीन कि धारा 5 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अपील की जा सकती है, विहित करते हुए

(घ) किसी अन्य विषय में, जो निहित किया जाना है अथवा किया जा सकता हो, नियम बना सकता है।

10. छूट देने की शक्ति - राज्य शासन लिखित आदेश द्वारा ऐसी शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अध्यधीन जैसी कि वह आरोपित करे, किसी चलक्षेपित्र प्रदर्शन को अथवा चलक्षेपित्र प्रदर्शनों के वर्ग को इस अधिनियम अथवा उसके अन्तर्गत बने नियमों के किन्हीं प्रावधानों से छूट दे सकता है।

11. निरसन - चलक्षेपित्र अधिनियम, 1918 सिनेमेटोग्राफ एक्ट, 1918 (1918 का क्रमांक 2) जहाँ तक उसका सम्बन्ध चलक्षेपित्र चित्रपटों को स्वीकृत करने से भिन्न विषयों से है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

------00-----